पाठ 6
सामान्य बैंक सुविधाएं

आइए सीखें

- बैंक में खाता खोलना, समझना।
- बैंक में खाते से लेन-देन करना, समझना।
- सामान्य चैक और बैंक ड्राफ्ट बनाना, समझना।
- लॉकर्स एवं ए.टी.एम. की उपयोगिता समझना।

हम जानते हैं कि बैंक में रुपये पैसे के लेन-देन का काम होता है। आप कुछ बैंकों के नाम जानते होंगे। उनके नाम यहाँ देखे जो निम्नानुसार है

स्टेट बैंक आफ इंडिया, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक आफ इंडिया एवं सभी राष्ट्रीयकृत बैंक आदि।

बैंक में लोग अपना धन (रुपया) जमा करते हैं ताकि उनका धन सुरक्षित रहे। बैंक उसके पास जमा रुपये को कुछ प्रक्रियाओं के साथ ऐसे लोगों को ऋण के रूप में देता है जो ऋण लेकर कुछ कारोबार या सम्पत्ति क्रय करना चाहते हैं। बैंक उसके पास जमा राशि पर कुछ ब्याज देता है तथा दिये गये ऋण पर ब्याज लेता है।

बैंक रुपये पैसे एवं धन संबंधी कुछ अन्य कार्य भी करता है जिसके बदले में वह कमीशन या सेवा शुल्क के रूप में आय प्राप्त करता है।

6.1 बैंकों के कार्य बैंकों का प्रमुख कार्य रुपये का लेन-देन एवं चैक का संग्रहण है। वेतनभोगी लोगों को बैंकों के माध्यम से वेतन देना, ब्याज देकर लोगों के धन जमा करना, छात्रों को छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति का खातों के द्वारा भुगतान करना, स्कूल की फीस जमा करना, बिजली, टेलीफोन के बिलों का पैसा जमा करना, समाज के हित में किसानों, दुकानदारों, शिक्षित बेरोजगारों को अपना धंधा प्रारंभ करने हेतु ऋण देना आदि कार्य है।

इसके अतिरिक्त यात्री चेक जारी करना, विनिमय-बिलों का भुगतान आदि करना है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए बैंक का महत्व काफी बढ़ गया है।

6.2 बैंकों के खाते बैंक के मुख्य कार्य के अंतर्गत लोगों से जमा करने के लिए धन प्राप्त करना है। बैंक में धन जमा करने हेतु हम कई तरह से खाते खोल सकते हैं। ऐसे कुछ खातों के नाम नीचे दिए गए हैं :

(1) बचत बैंक खाता

(2) चालू खाता

(3) सावधि जमा खाता

(4) आवृत्ति (संचयी खाता) जमा खाता

जब हम किसी बैंक में पहली बार खाता खोलते हैं तो बैंक से संबंधित खाते का एक निर्धारित आवेदन-पत्र होता है जिसे भरकर और नमूने के हस्ताक्षर के साथ जमा करना पड़ता है, साथ ही पहचान के लिए फोटो भी देना पड़ता है। ये नमूने के हस्ताक्षर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि बैंक से धन निकालते समय नमूने के हस्ताक्षर का मिलान होने पर ही धन निकालने की अनुमति मिलती है, अन्यथा नहीं। एक बात और ध्यान देने के योग्य है कि प्रथम बार खाता खोलने के समय ऐसे व्यक्ति का परिचय देना होता है जिसका उस बैंक में पहले से खाता हो। इन खातों में जमा धन पर ब्याज की दर समय-समय पर निर्धारित की जाती है। सावधि जमा खाता और आवृत्ति खातों में जमा करते समय जो ब्याज दर होती है वह खातों के परिपक्व होने तक बनी रहती है।

अब हम विभिन्न खातों के खोलने की प्रक्रिया समझेंगे।

बचत बैंक खाता इस खाते का मुख्य उद्देश्य बचत को प्रोत्साहन देना और जब-जब आवश्यक हो, धन निकालने की सुविधा प्रदान करना है। इस खाते में जमा धन निकालने की दो प्रकार की सुविधा दी जाती है। पहली सुविधा के अंतर्गत बैंक द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र को भरकर देने से रुपया प्राप्त हो जाता है। दूसरी सुविधा के अंतर्गत बैक द्वारा जारी चैक के माध्यम से रुपया निकाला जाता है। दोनों प्रकार की सुविधा के अंतर्गत खाता खोलने के लिए अलग-अलग निर्धारित न्यूनतम राशि जमा करना होता है, जो समय-समय पर बदलती रहती है। संयुक्त खाता भी खोला जा सकता है।

सामान्यत: बैंकों द्वारा प्रत्येक माह की दस तारीख और अंतिम तारीख के बीच जमा न्यूनतम राशि पर उस माह का ब्याज दिया जाता है।

एक और सुविधा बैंकों द्वारा दी गई है जिसे ए.टी.एम. सुविधा कहते हैं।

ए.टी.एम. सुविधा ए.टी.एम. (Automatic Teller Machine) स्वचालित टेलर मशीन) एक उपकरण है जिसे कोई ग्राहक बिना संवाद किए बैंकिंग लेन-देन की व्यापक श्रृंखला को परिचालित करता है।

बैंक द्वारा एक कार्ड, जिसे ए.टी.एम. कार्ड कहते हैं, दिया जाता है। साथ ही व्यक्तिगत पहचान संख्या भी दी जाती है। ए.टी.एम. कार्ड का उपयोग इस संख्या के बिना नहीं किया जा सकता।

ए.टी.एम. से रुपया निकालने की अलग-अलग विधियाँ हैं। किसी स्थान पर उपलब्ध ए.टी.एम. का प्रयोग वहाँ के किसी बैंक अधिकारी से संपर्क कर जाना जा सकता है। इस सुविधा के अंतर्गत देश में कहीं

से भी किसी भी समय धन का आहरण किया जा सकता है। खाते में यथेष्ट धन जमा न रहने पर मशीन के प्रयोग से रुपया नहीं निकलेगा। साथ ही बैंकों द्वारा दिए जाने वाले क्रेडिट कार्ड का डेबिट कार्ड से व्यक्ति कहीं भी किसी भी दुकान से (जहाँ प्रचलन में हो) सामान क्रय कर सकता है।

चालू खाता यह खाता प्राय: व्यापारियों, कंपनियों, निगमों आदि के लिए होता है जो इन खातों का उपयोग करते हैं। इसमें जमा करने या निकालने की राशि तथा बार-बार निकालने पर बंधन नहीं होता। इस खाते में जमा धन पर ब्याज नहीं मिलता।

सावधि जमा खाता इस खाते में धन कुछ निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है जिस पर ब्याज की दरें निश्चित समय के अनुसार अलग-अलग होती हैं, जो समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित की जाती हैं। खाता खोलते समय जो ब्याज-दर होती है वह खाते के परिपक्व होने तक लागू रहती है। बीच के समय में ब्याज-दर परिवर्तित होने पर इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। बैंक द्वारा इस राशि का उपयोग खाते में दी गई निश्चित अवधि तक किया जा सकता है।

आवर्ती (संचयी जमा) खाता इसके अंतर्गत ग्राहक को अपनी इच्छानुसार एक निश्चित राशि प्रतिमाह जमा करनी होती है। इसकी अवधि भी निश्चित होती है जो माह में होती है। इस खाते में ब्याज की दर निश्चित रहती है और वह पूरी अवधि के लिए अपरिवर्तनीय रहती है। अलग-अलग राशि और अलग-अलग अवधि के लिए ब्याज की दरें भिन्न-भिन्न होती है। अवधि पूर्ण होने पर ब्याज सहित राशि का भुगतान किया जाता है।

अवयस्कों के खाते अवयस्क (18 वर्ष से कम) व्यक्ति को भी बैंक में खाते खोलने की पात्रता है। 12 वर्ष से अधिक आयु का अवयस्क व्यक्ति अपने नाम से या संयुक्त रूप से अपने अभिभावक के नाम से खाता खोल सकता है।

6.3 बैंक ड्राफ्ट प्राय: बड़ी राशियों को बैंक ड्राफ्ट या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। अब तो परीक्षा की फीस, आवेदन शुल्क भी बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भेजा जाने लगा है एक बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट बैंक की एक शाखा का किसी दूसरी शाखा के लिए आदेश होता है। दूसरी शाखा उस व्यक्ति को, जिसके नाम से बैंक ड्राफ्ट है, उतनी ही राशि का भुगतान करती है। यदि बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट ऐसे व्यक्ति के नाम से जारी किया जाता है जिसका खाता किसी अन्य बैंक में है तो वह व्यक्ति ड्राफ्ट को अपने खाते में जमा करता है। वह बैंक ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक को भेज देता है और फिर वह बैंक उतनी ही राशि संबंधित बैंक को हस्तांतरित कर देता है और यह राशि व्यक्ति के खाते में जमा हो जाती है। बैंक ड्राफ्ट में ऊपर बायें कोने में A/c Payee लिखा जाता है।

6.4 बैंक खाते में धन जमाकर खाता चालू रखना बैंक खाते को चालू रखने के लिए यह

आवश्यक है कि धन निकालने के साथ-साथ उसमें बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम राशि जमा रहे। समय-समय पर रुपया निकालने के साथ-साथ उसी हिसाब से जमा भी होता रहे।

बैंक में धन जमा करना बैंक में रुपया जमा करने के लिए धारक बैंक में नि:शुल्क उपलब्ध एक जमा करने की पर्ची का उपयोग करता है। इस पर्ची में छिद्रित रेखा से जुड़े फाईल और काउन्टर फाईल दो भाग होते हैं। इस पर्ची को भरकर रुपये के साथ बैंक में जमा करने के काउंटर पर दे देते हैं। काउन्टर पर उपस्थित बैंक के व्यक्ति द्वारा काउंटर फॉयल में हस्ताक्षर करके एवं सील लगा के उसे संबंधित व्यक्ति को दे देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति द्वारा दिया गया धन उसके खाते में जमा हो जाएगा।

रुपया जमा करने की बचत खाता जमा पर्ची का नमूना नीचे दिया है।

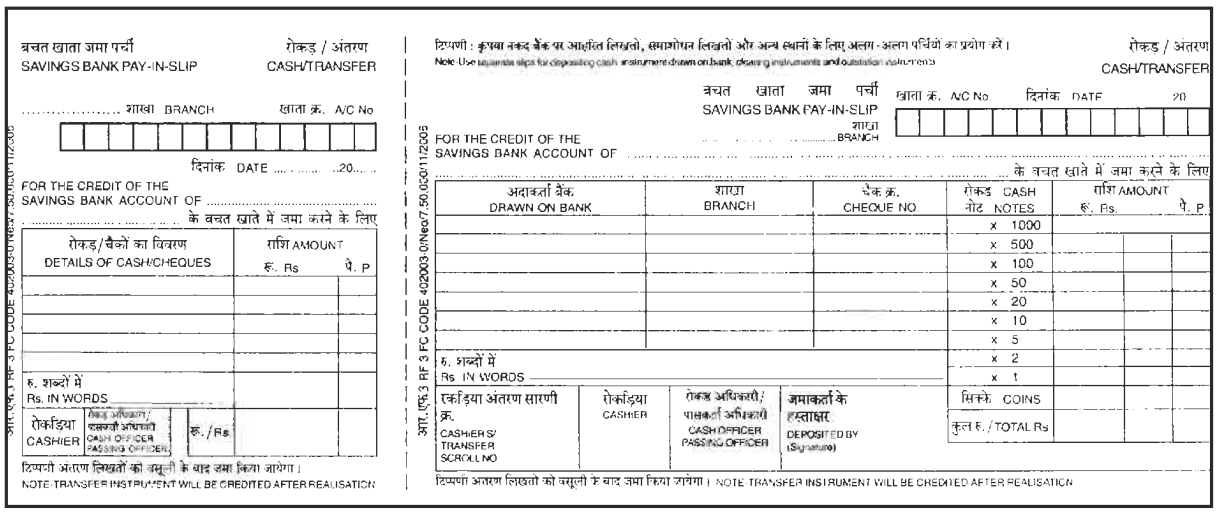

बचत खाता जमा पर्ची
SAVINGS BANK PAY-IN-SLIP
रोकड़ / अंतरण
CASH/TRANSFER

..... शाखा BRANCH खाता क्र. A/C No

दिनांक DATE .....20.....

FOR THE CREDIT OF THE SAVINGS BANK ACCOUNT OF .....
..... के बचत खाते में जमा करने के लिए

रोकड़/चैकों का विवरण DETAILS OF CASH/CHEQUES	राशि AMOUNT रु. Rs	पै. P
रु. शब्दों में Rs. IN WORDS		
रोकड़िया CASHIER / रोकड़ अधिकारी/ पासकर्ता अधिकारी CASH OFFICER PASSING OFFICER / रु./Rs		

टिप्पणी अंतरण लिखतों की वसूली के बाद जमा किया जायेगा।
NOTE: TRANSFER INSTRUMENT WILL BE CREDITED AFTER REALISATION

टिप्पणी : कृपया नकद बैंक पर आहरित लिखतों, समाशोधन लिखतों और अन्य स्थानों के लिए अलग-अलग पर्चियों का प्रयोग करें।
Note: Use separate slips for depositing cash instrument drawn on bank, clearing instruments and outstation instruments

रोकड़ / अंतरण
CASH/TRANSFER

बचत खाता जमा पर्ची
SAVINGS BANK PAY-IN-SLIP
शाखा BRANCH
खाता क्र. A/C No दिनांक DATE 20

FOR THE CREDIT OF THE SAVINGS BANK ACCOUNT OF .....
..... के बचत खाते में जमा करने के लिए

आहर्ता बैंक DRAWN ON BANK	शाखा BRANCH	चैक क्र. CHEQUE NO	रोकड़ CASH नोट NOTES	राशि AMOUNT रु. Rs.	पै. P.
			x 1000		
			x 500		
			x 100		
			x 50		
			x 20		
			x 10		
			x 5		
			x 2		
रु. शब्दों में Rs. IN WORDS			x 1		
			सिक्के COINS		
			कुल रु./TOTAL Rs		

एकड़िया अंतरण सारणी क्र. CASHIER S/ TRANSFER SCROLL NO	रोकड़िया CASHIER	रोकड़ अधिकारी/ पासकर्ता अधिकारी CASH OFFICER PASSING OFFICER	जमाकर्ता के हस्ताक्षर DEPOSITED BY (Signature)

टिप्पणी अंतरण लिखतों को वसूली के बाद जमा किया जायेगा। NOTE: TRANSFER INSTRUMENT WILL BE CREDITED AFTER REALISATION

6.6 बैंक से लेन-देन बैंक में जमा धन से रुपया निकालने की दो विधियाँ हैं। 1. बचत खाते से पैसा निकालने का फार्म, बैंक में उपलब्ध होता है। इसे भरकर पास बुक के साथ बैंक के प्राधिकृत व्यक्ति को देकर रुपया प्राप्त करते हैं।

2. चैक द्वारा बचत खाते से पैसा निकालने का फार्म, चैक बैंक द्वारा दिया हुआ एक छपा प्रपत्र है, जिस पर क्रमांक छपे रहते हैं। बैंक द्वारा एक चैक बुक दी जाती है, जिसमें कई चैक होते हैं। यह बैंक के लिए बिना प्रतिबंध का आदेश है और जब कभी आवश्यकता हो, इसे भरकर प्राधिकृत बैंक के व्यक्ति को देकर रुपया प्राप्त किया जा सकता है। चैक स्वयं (Self) के नाम पर या किसी अन्य के नाम पर दिया जा सकता है। चैक गलत हाथों में पड़ जाने से बैंक भुगतान नहीं रोक सकती। इस धोखे को रोकने के लिए, इसे आदेश चैक बनाया जाता है आदेश चैक से उसी व्यक्ति को भुगतान होगा जिसका नाम चैक में लिखा जाएगा। इसे पूर्ण रूप से सुरक्षित बनाने के लिए चैक के ऊपरी बायें कोने में रेखांकित (=) कर रेखाओं के बीच में 'A/c Payee' लिख देते हैं।

6.6 गिफ्ट चैक किसी को उपहार (गिफ्ट) रुपये के रूप में चैक द्वारा दिया जा सकता है। इसके लिए बैंक में रुपया जमा कर गिफ्ट चैक प्राप्त करते हैं। जिस व्यक्ति को गिफ्ट देना हो उसे यह चैक दे देते हैं। वह व्यक्ति इस गिफ्ट चैक को छ: माह के भीतर कभी भी और कहीं भी संबंधित बैंक में जमाकर रुपया प्राप्त कर सकता है।

यात्री चैक यात्री को एक बड़ी रकम ले जाने में असुविधा को देखते हुए बैंकों द्वारा यात्री चैक जारी किया जाता है। यह किसी भी व्यक्ति द्वारा बैंक में रुपया जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। चैक पर एक निश्चित स्थान पर हस्ताक्षर करना पड़ता है। जिस स्थान पर रुपया प्राप्त करना होता है, वहां संबंधित बैंक में जाकर प्राधिकृत बैंक अधिकारी के सामने पुन: हस्ताक्षर कर चैक जमा करने से रुपया प्राप्त किया जा सकता है। बैंक के अधिकारी के सामने किये गये हस्ताक्षर और पूर्व में किए गए हस्ताक्षर में मिलान होना आवश्यक है।

ए.टी.एम. सुविधा को देखते हुए अब यात्री चैक का उपयोग कम हो रहा है।

6.8 लॉकर्स बैंकों द्वारा आभूषण, महत्वपूर्ण दस्तावेजों आदि को अधिक सुरक्षित रखने के लिए लॉकर्स की सुविधा प्रदान की गई है। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी बैंक में इसका लाभ उठाया जा सकता है। यह सुविधा बैंक की लगभग सभी शाखाओं में उपलब्ध रहती है। बैंक द्वारा व्यक्ति के नाम पर लॉकर उपलब्ध कराई जाती है, जो बैंक के सुरक्षित कमरे में रहता है। इस लॉकर की दो चाबियाँ होती हैं एक संबंधित व्यक्ति के पास और दूसरी बैंक के अधिकारी के पास। जब लॉकर में कोई सामान रखना या उसमें से निकालना होता है तब बैंक अधिकारी और लाकर धारक की चाबी, दोनों से ही, लॉकर खुलता है और बंद होता है। इसमें रखा सामान गोपनीय रहता है। बैंक अधिकारी को भी नहीं मालूम रहता कि लॉकर में क्या रखा है। बैंक द्वारा इस लॉकर के साइज के आधार पर प्रतिवर्ष एक निश्चित किराया लिया जाता है।

प्रश्नावली 6.1

1. बचत खाते का मुख्य उद्देश्य क्या है?
2. चालू खाता किन लोगों के लिए अधिक उपयोगी है?
3. ग्राहक द्वारा चुनी गई निश्चित अवधि तक प्रतिमाह अपनी इच्छानुसार एक निश्चित राशि जमा करने के लिये कौन सा खाता खोला जाता है?
4. बचत खाते में रुपया कैसे जमा किया जाता है?
5. बचत खाते से रुपया किस प्रकार निकाला जाता है?
6. लॉकर से किस प्रकार की सुविधा प्राप्त करते हैं?
7. बैंक बंद होने या अवकाश के दिन आप अपने खाते से रुपया किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं?
8. ए.टी.एम. से आप क्या समझते हैं?